

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/मा-स/SDMC/22423/2017-18/219

दिनांक: 26.10.2017

:: आदेश ::

राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राजस्थान सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम-1958" के तहत पंजीकृत "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" के "संघ विधान-पत्र एवं नियमावली" में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. संघ विधान-पत्र के पृष्ठसंख्या (1) के बिन्दुसंख्या-3.3 में "फीस/दान" के स्थान पर "विद्यालय अनुदान" प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. विधान (नियमावली) के पृष्ठ संख्या (4) के बिन्दुसंख्या - 3.3 में "फीस/दान" के स्थान पर "विद्यालय अनुदान" प्रतिस्थापित किया जाता है।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, सहकार भवन, बाईस गोदाम, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
9. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय।
11. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
12. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. समस्त संस्थाप्रधान तथा पदेन अध्यक्ष, "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" के "संघ विधान-पत्र एवं नियमावली" में किए गए उक्त संशोधन की प्रविष्टि सम्बन्धित SDMC के पंजीयक कार्यालय में करवाया जाना तत्काल सुनिश्चित करें एवं तदनु रूप "आयकर अधिनियम-1961" की धारा 80 'जी' के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन के समय "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" के संशोधित "संघ विधान-पत्र एवं नियमावली" की प्रति प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
16. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय का पता :- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ☎ 0151-2544043

Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

R:\ma-sa\pen letter docx